बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

<u>अधिसूचना</u>

सं0:– 3/अ0 प्र0–1–10/2011 1108 /पटना/दिनांक :– 11.6.2020

श्री धीरेन्द्र नाथ चौरसिया, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध कार्यपालक अभियंता, निगरानी प्रमंडल–3 (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–449 दिनांक–05.07.2011 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में वर्ष–2010–11 में कार्य प्रमंडल, लखीसराय के अधीन लखीसराय सदर प्रखंड के साविकपुर पंचायत लोदियाग्राम में मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत श्री रामाकांत सिंह के घर के पास पुल निर्माण में कार्य के क्रम में स्थल पर पूर्व निर्मित पुल को तोड़ने का प्राक्कलन में प्रावधान होने के बावजूद इस मद को परिणाम विपत्र में शामिल नही करने, बिना आदेश निर्गत किये तोड़वाने, तोड़ी गयी समग्रियों को स्थल लेखा में नहीं लेने तथा बिना एकरारनमा एवं कार्यादेश के संवेदक से कार्य प्रारंभ करा दिये जाने के आरोपों पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 1704 अनु0 दिनांक 29.04.2013 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री चौरसिया के पत्रांक शून्य दिनांक 24.06.2013 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त आरोप सं0–(i) का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य एवं आरोप सं0–(ii), (iii) एवं (iv) का स्पष्टीकरण अस्वीकार योग्य पाये जाने के फलस्वरूप अधिसूचना ज्ञापांक–1851 अनु0 दिनांक 25.06.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त तदेन अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री रवीन्द्र रजक, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

3. श्री धर्मदेव चौधरी, तदेन अभियंता प्रमुख–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–21, दिनांक–28.01.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया, जिसमें श्री चौरसिया के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अप्रमाणित पाया गया। समीक्षोपरान्त पाया गया कि बिना आदेश निर्गत किए पूर्व निर्मित पुल को तोड़वाया गया जो अनाधिकार एवं अनियमितता है। तोड़ी गयी सामग्रियों में से काम लायक ईट को Surplus A/C में लिया गया, परंतु उसे मापी पुस्त में अंकित नहीं किया गया। एकरारनामा एवं कार्य प्रारंभ की तिथि–28.02.2011 के पूर्व ही संवेदक से कार्य प्रारंभ करा दिया गया। अतएव संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से उक्त बिन्दुओं पर असहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम, 18(2) के तहत विभागीय पत्रांक–731 अनु0 दिनांक–20.03.2019 द्वारा असहमति के बिन्दु पर श्री चौरसिया से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

10/6/2020

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:**<u>Secretary rwd bihar@gmail.com.</u>**& secy-reo-bih@nic.in

4. श्री चौरसिया के दिनांक 31.01.2016 सेवानिवृत हो जाने के कारण उनके विरूद्व संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय अधिसूचना संख्या 3338 दिनांक 14.11.2019 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

5. श्री चौरसिया के पत्रांक शून्य दिनांक 16.05.2019 द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान विभाग को समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री चौरसिया द्वारा अपने बचाव बयान में गठित आरोपों को स्वीकार किया गया है, किन्तु इसे कार्यहित में प्रक्रियात्मक अनियमितता कहा गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। अतएव समीक्षोपरांत द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकार योग्य पाते हुए श्री चौरसिया को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(क) के तहत पेंशन से अगले पाँच वर्षो तक 05 प्रतिशत की मासिक कटौती की शास्ति अधिरोपित किये जाने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

6. तत्पश्चात उक्त विनिश्चित प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 478 अनु0 दिनांक 05.02.2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श/सहमति की मांग की गयी। तद्‌लोक में आयोग के पत्रांक 299 दिनांक 28.05.2020 द्वारा उक्त विभागीय दंड प्रस्ताव पर आयोग की सहमति संसूचित की गयी है।

7. अतः उपर्युक्त के आलोक में श्री धीरेन्द्र नाथ चौरसिया, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रश्नगत् मामले में प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(क) के तहत **पेंशन से अगले पाँच वर्षो तक 05 प्रतिशत की मासिक कटौती की शास्ति** अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

विश्वासभजन

10/6/2020

(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ०प्र०—1—10/2011 1129 /पटना/दिनांकः— 11.6.2020

प्रतिलिपि :— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को एक अतिरिक्त प्रति एवं सी0डी0 के साथ राजपत्र को अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

10/6/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ०प्र०—1—10/2011 1129 /पटना/दिनांकः— 11.6.2020

प्रतिलिपि :— महालेखाकार, बिहार, पटना एवं कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/6/2020

अपर सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–10/2011 1109 /पटना/दिनांकः– 11.6.2020

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग के उनके पत्रांक–05/प्रो0–4–11/2020 (**299**) दिनांक 28.05.2020 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

10/6/2020

अपर सचिव

ज्ञापांकः– 3/अ०प्र०–1–10/2011 1109 /पटना/दिनांकः– 11.6.2020

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, लखीसराय/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पूर्णियाँ/प्रशाखा पदाधिकारी–5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री देवेन्द्र नाथ चौरसिया, तत्कालीन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पूर्णियाँ, पत्राचार का पता :–72 नन्दनपुरी, मौर्य पथ, खजपुरा, डाकघर–बी0भी0 कॉलेज, थाना–राजीव नगर, जिला–पटना, बिहार पिनकोड–800014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/6/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–10/2011 1109 /पटना/दिनांकः– 11.6.2020

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर (सचिव कोषांग), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

10/6/2020

अपर सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:**Secretary rwd bihar@gmail.com,**& secy-reo-bih@nic.in